

उत्तराखण्ड शासन
सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग-4
संख्या 166/XXXI(4)/18/167(को०ट०)/2015
देहरादून: दिनांक 23 फरवरी, 2018
कार्यालय झाप

सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय झाप संख्या: 1787/XXXI(1)/को०ट०-25/15 दिनांक 15 जुलाई, 2015 तथा संख्या 326/XXXI(4)/16-167को०ट०/2015 दिनांक 17 मई, 2016 एवं संख्या 08/XXXI(4)/16-167को०ट०/2015 दिनांक 03 जनवरी, 2017 व संख्या-295/XXXI(4)/17-167को०ट०/2015 दिनांक 17 मार्च, 2017 के क्रम में निम्नलिखित अस्थाई निःसंवर्गीय पदों को उपयोग में लाये जाने की तिथि से दिनांक 28.02.2019 तक बशर्त कि यह पद उक्त अवधि के पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाय, सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
01	विशेषकार्याधिकारी(एक)	01	पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13, ₹ 118500-214100
02	विशेषकार्याधिकारी (दो)	01	पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12, ₹ 78800-209200
03	विशेषकार्याधिकारी (तीन)	01	पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12, ₹ 78800-209200
04	विशेषकार्याधिकारी (चार)	01	पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12, ₹ 78800-209200
05	विशेषकार्याधिकारी (पांच)	01	पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11, ₹ 67700-208700

2- उपरोक्तानुसार सृजित पदों के सापेक्ष निम्नलिखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पदनाम/वेतनमान में दिनांक: 01.03.2018 से दिनांक: 28.02.2019 तक के लिए तैनात/निरन्तरता की जाती है:-

क्र.सं	नाम	पदनाम	वेतनमान
01	श्री ललित मोहन आर्य	विशेषकार्याधिकारी (एक)	पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13, ₹ 118500-214100
02	श्री संजीव कुमार शर्मा	विशेषकार्याधिकारी (दो)	पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12, ₹ 78800-209200
03	डा० शैलेश कुमार पंत	विशेषकार्याधिकारी (तीन)	पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12, ₹ 78800-209200
04	श्री रावेन्द्र कुमार चौहान	विशेषकार्याधिकारी (चार)	पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12, ₹ 78800-209200
05	श्री धर्मेन्द्र सिंह पयाल	विशेषकार्याधिकारी (पांच)	पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11, ₹ 67700-208700

3- उक्त पदधारकों को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुमन्य मंहगाई भत्ता व अन्य भत्तों भी देय होंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय संबंधित वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-090-सचिवालय-00-आयोजनेत्तर-03-सचिवालय अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5- सृजित किये जाने वाले पद एवं पदधारकों की तैनाती/निरन्तरता मा० उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड में दायर रिट याचिका संख्या 270/2015, 271/2015, 272/2015, 273/2015, 274/2015 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।


6- यह आदेश वित्त विभाग के अशा० संख्या-09/XXVII(7)/2018 दिनांक 14 फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव (प्रभारी)

पृष्ठांकन संख्या 166/XXXI(1)/18/165(को०ट०)2015तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (A&E) उत्तराखण्ड, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट) उत्तराखण्ड, वैमव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
5. संयुक्त सचिव (लेखा)/आहरण-वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, कोषागार, पेन्शन एवं हकदारी, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
7. संबंधित कार्मिक।
8. वित्त अनुभाग-5/वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
9. सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मनीषा वर्मा)
अनु सचिव